माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :–(0755) 2551166 (PBX no111)

क्रमाँक / गोपनीय–समन्वय / 5337 / 2018 भोपाल, दिनाँक 21 / 12 / 2018

प्रति,

1. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, मध्यप्रदेश
3. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त मध्यप्रदेश
4. संभागीय उप आयुक्त, आदिम जाति कल्याण /
   सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण /
   जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण समस्त, मध्यप्रदेश
5. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मध्यप्रदेश
6. संभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल समस्त, मध्यप्रदेश
7. प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्था, समस्त मध्यप्रदेश

विषयः–मार्च 2019 में आयोजित होने वाली मण्डल की परीक्षाओं के लिये बाह्य मूल्याकंनकर्ता के चयन एवं नियुक्ति बाबत।

मण्डल द्वारा संचालित परीक्षायें वर्ष 2019 हेतु प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य **कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।**

2. उपरोक्त कार्य की व्यापकता, संवेदनशीलता एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सुयोग्य मूल्यांकनकर्ता के चयन एवं उनकी नियुक्ति निम्नानुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाना है:–

(1)	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
(3)	संभागीय अधिकारी, मा.शि.मंडल, मध्यप्रदेश	–	सदस्य
(4)	जिला समन्वयक संस्था के प्राचार्य / उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य	–	सदस्य
(5)	जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण	–	सदस्य सचिव

* (आदिवासी उप योजना क्षेत्र के जिन जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाएं संचालित की जा रही हैं उन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को सदस्य सचिव मान्य किया जाये)

3. उपरोक्त समिति द्वारा सैद्धांतिक परीक्षा हेतु कण्डिका क्र–4 के अनुसार बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं का ऑन लाईन पंजीयन दिनांक 20 जनवरी 2019 तक पूर्ण कर प्रायोगिक परीक्षा के बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं का चयन करने की कार्यवाही **31 जनवरी 2019** तक पूर्ण कर ली जाए। यदि जिले में मूल्यांकनकर्ताओं का ऑन लाईन पंजीकरण पूर्ण नहीं हुआ है, तो उपरोक्त समिति आवश्यकतानुसार विगत वर्ष में बाह्य मूल्यांकन कर चुके पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता का भी चयन कर सकेगी। कृपया समिति द्वारा चयनित बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की परीक्षावार, विषयवार सूची तैयार कर **05 फरवरी, 2019** तक मण्डल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर.....2

4. मण्डल द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य मूल्यांकनकर्ता के चयन के लिये निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

4.1 यथा संभव पांच वर्ष एवं कम से कम तीन वर्ष के अध्यापन कार्य के अनुभवी शिक्षकों का ही चयन किया जावे।

4.2 संविदा शिक्षक वर्ग–1,वर्ग–2 एवं वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक संवर्ग के शिक्षक जो कम से कम निरतंर तीन वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हो उनकी सेवायें भी परीक्षकों के रूप में ली जा सकती है।

4.3 ऐसे शिक्षक जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर हो एवं निरंतर तीन वर्षो से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्यापन कार्य कर रहे हो को भी परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

4.4 हाईस्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों के लिये स्नातक एवं हा.से. परीक्षा अध्यापनरत की उ.पु. के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य होगा।

4.5 पूर्व में परीक्षकों के रूप में कर्तव्य निर्वहन में कोई लापरवाही नहीं की गई है। अथवा उक्त कार्य से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

4.6 अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के उन शिक्षकों को परीक्षक के रूप में चयनित किया जावे जिन्होंने संस्था 10वीं एवं 12वीं में लगातार यथा संभव पांच वर्ष, कम से कम तीन वर्ष तक संतोष जनक कार्य किया हो। इस आशय का अध्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य समन्वयक संस्था द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की जांचोपरान्त अनुभव प्रमाण के आधार पर परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

5. सामान्य निर्देश :–

5.1 नियुक्त समस्त शिक्षकों को उपरोक्तानुसार परीक्षा ड्यूटी के लिये चयन होने की दशा में इसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।अनुपस्थिति/लापरवाही की दशा में उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5.2 आवश्यकता से 10 प्रतिशत अधिक शिक्षकों का चयन कर उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाए ताकि बीमारी अथवा अन्य कारण से अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में प्रतीक्षा सूची से आकस्मिक स्थिति में नियुक्ति की जा सके।

5.3 चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के शिक्षकों को गम्भीर बीमारी या अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए।

5.4 समिति द्वारा विश्वसनीय एवं अच्छी सेवा अभिलेख वाले शिक्षकों को पूरी छानबीन कर ही मूल्यांकनकर्ता का चयन व नियुक्ति की जावे। नियुक्तिपत्र जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण द्वारा जारी किये जाएं। नियुक्तिपत्र के प्रारूप संलग्न हैं।

5.5 जिलेवार एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य मूल्यांकनकर्ता का चयन एवं नियुक्ति की समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार समिति के स्तर पर ही की जाना है। नियुक्ति के आदेश समिति के अनुमोदन के बाद इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर व मुहर सहित **मूल्यांकनकर्ताओं को समक्ष में बुलाकर दिये जाये।**

5.6 नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि अनुपस्थिति अथवा लापरवाही की दशा में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्परता से संभागीय आयुक्त/कलेक्टर/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण द्वारा राज्य शासन द्वारा उन्हें प्रदत्त प्रशासनिक/अनुशासनात्मक शक्तियों के तहत की जायगी।

संलग्न :– मूल्यांकनकर्ता का नियुक्ति पत्र।

S. Dahima

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/गोपनीय/ 5556 **/2018** **भोपाल, दिनांक** 21/12/**2018**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल, म.प्र.।
3. सर्व संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।

S. Dahima

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण
जिला ..... (मध्यप्रदेश)

क्रमांक / /20...., दिनांक / /20..

प्रति,

श्री / श्रीमती / सुश्री
.....उ.मा.वि.
जिला .....म.प्र.

प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य मूल्यांकनकर्ता का नियुक्ति पत्र।

1. हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी / हा.से.व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2019 की प्रायोगिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिये आपको विषय ..... हेतु बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में चयन / नियुक्ति का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। तद्नुसार इस पत्र के माध्यम से आपको बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है।
2. मध्यप्रदेश शासन मण्डल के परीक्षा संबंधी कार्यो को मध्यप्रदेश अनिवार्य सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा में घोषित किया गया है। अतः इस नियुक्ति पत्र का पालन करना उक्त अधिनियम के तहत आपके लिये बंधनकारी है।
3. आपकी नियुक्ति की सूचना पृष्ठांकन के माध्यम से आपकी शाला के प्राचार्य को भी दी गई है। यदि उन्हें समय पर नियुक्ति पत्र की प्रति न मिली हो तो कृपया आपकी प्रति प्राचार्य को प्रस्तुत कर समय पर भारमुक्त होना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित संस्था के प्राचार्य से संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा की तिथि स्थान एवं समय निर्धारित कर लें तथा नियत तिथि पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायें। एक दिन में उतने ही परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा लें जो आप भलीभांति गंभीरतापूर्वक सम्पन्न करा सकते हैं। भले ही प्रायोगिक परीक्षा लेने में अधिक समय एवं दिन लगें। एक दिन में 50 से अधिक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा किसी भी दशा में न ली जाये ताकि प्रत्येक परीक्षार्थी की समुचित परीक्षा लेते हुये सभी का मूल्यांकन भी उसी दिन समाप्त किया जा सके।
5. प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त उसी दिन अंकों के फाईल डी.पी.लिफाफे में एवं काउन्टर फाईल ई.पी. लिफाफे में सील बंद करके दोनों लिफाफों को पुनः सी.पी. लिफाफे में बन्द करें। तत्पश्चात सी.पी. लिफाफा संबंधित प्राचार्य को सौंपे। परीक्षार्थियों को प्रदान किये गये अंकों की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता कायम रखी जाये।
6. प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन संस्था पर ही सुनिश्चित करें।
7. मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई कम्प्यूटर प्रिंटेड ओ.एम.आर.शीट में प्राप्तांक की प्रविष्टि करने से पहले निर्धारित कालम में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करायें।

हस्ताक्षर
पूरा नाम
जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण, जिला

क्रमांक / /20..., दिनांक / /20...

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य उ.मा.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य उ.मा.वि. जिला को इस पत्र के माध्यम से नियुक्त किये गये बाह्य मूल्यांकनकर्ता को नियुक्ति के दौरान निर्धारित समय, स्थल व दिनांक पर उपस्थित होने हेतु समुचित निर्देश दें। परीक्षा कर्तव्य के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

कृपया नियुक्ति पत्र देते हुये समस्त बाह्य मूल्यांकनकर्ता को समक्ष में ओ.एम.आर.शीट भरने विषयक समुचित प्रशिक्षण प्रदान करें।

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण, जिला